न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17 / 2025
दायर दिनांक : 16.04.2025
निर्णय दिनांक : 18.12.2025

सनवान

1. तुलसीराम पिता नारायण गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
2. हरचन्द पिता नारायण गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पिता अमरा गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
2. बाबरू पिता भग्गा गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
3. भैरूलाल पिता भग्गा गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
4. रूपी पत्नी भग्गा गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
5. उदा पिता किशना गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
6. जीतू पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
7. मांगू पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
8. माहेन पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी तहसील भूपालसागर
7. तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि ग्राम चाकुडी पटवार हल्का रायपुरिया कला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजियात स्थित है जिसके हाल जमाबंदी दर्ज खाता सं. 289 से दर्ज आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. किता 1 रकबा 0.29 है. स्थित है। उक्त आराजियात पर मैं प्रार्थिया काबिज हो काश्त कर रही हूं, वहज सबूत हाल जमाबंदी, हाल नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी की आराजियात में पैदल आने जाने मवेशी आदि लाने ले जाने, बैलगाडी भरी खाली, ट्रेक्टर मय ट्रोली खाली भरी लाने ले जाने व हंकाई के लिये ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये अप्रार्थी की खाता सं. 10 से दर्ज आराजी 789 व खाता सं. 7 की आ.सं. 791 की पूर्वी पाली (मेड) पर होकर आम रास्ता उत्तर से दक्षिण की तरफ होकर प्रार्थीगण अपनी आराजिया में प्रवेश करते हैं उक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण कई समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण आये दिन हैरान परेशान करते हैं और रास्ता रोक दिया जिससे हमारी आराजियात में फसल बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजियात में जाने के लिये उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर से देने के लिये तैयार हैं। अतः प्रार्थिया को अपनी उक्त आराजियात में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजियात सं. 789 व 791 की पूर्वी पाली (मेड) पर चौड़ा 30 फीट व लम्बा प्रार्थीगण की आ.सं. 789 तक प्रवेश करने का कुलिया रास्ता कायम कराने का प्रार्थीगण न्यायालय से प्रार्थना करते हैं तथा कुलिया रास्ते के रकबे का न्यायालय आदेशानुसार प्रार्थीगण राशि जमा कराने के लिये तैयार हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

1. प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया।
2. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय हित में तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested

(1) क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी)

प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.11.2025 अनुसार ग्राम चाकुडी के आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. में आने जाने बाबत अप्रार्थीगण की आ.सं. 789 रकबा 0.20 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बा कुल 252 व.मी. एवं आ.सं. 291 रकबा 0.22 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 30 मीटर लम्बा 270 वर्गमीटर में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम चाकुडी के आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. में आने जाने बाबत अप्रार्थीगण की आ.सं. 789 रकबा 0.20 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बा कुल 252 व.मी. एवं आ.सं. 291 रकबा 0.22 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 30 मीटर लम्बा 270 वर्गमीटर में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दिनांक 26.11.2025 मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

–रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दिनांक 26.11.2025 संलग्न है।

(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी तुलसीराम पिता नारायण गाडरी व हरचन्द पिता नारायण गाडरी निवासी चाकुडी के खाते दर्ज आ0न0 789 व 791 लिए कोई रेकार्ड में रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात में आने जाने हेतु ग्राम चाकुडी के आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. में आने जाने बाबत अप्रार्थीगण की आ.सं. 789 रकबा 0.20 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बा कुल 252 व.मी. एवं आ.सं. 291 रकबा 0.22 है. में से 9 मीटर चौड़ा एवं 30 मीटर लम्बा 270 वर्गमीटर में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है। उक्त रास्ता भूमि कुल 252 व 270 कुल 522 वर्गमीटर होकर निकटतम मार्ग है। उक्त 522 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर अनुसार कीमत 53,200/ रूपये बनती है, जिसका दुगुना करने पर राशि 1,06,400/ रूपये बनते हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

कमिश्नर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि ग्राम चाकुडी की आ0न0 789 व 791 लिए कोई रेकार्ड में रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात में आने जाने हेतु ग्राम चाकुडी के आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. में आने जाने बाबत अप्रार्थीगण की आ.सं. 789 रकबा 0.20 है. में से 9 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बा कुल 252 व.मी. एवं आ.सं. 291 रकबा 0.22 है. में से 9 मीटर चौड़ा एवं 30 मीटर लम्बा 270 वर्गमीटर में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है। उक्त रास्ता भूमि कुल 252 व 270 कुल 522 वर्गमीटर होकर निकटतम मार्ग है। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चाकुडी पटवार हल्का [illegible] तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके ग्राम चाकुडी की आ0न0 789 व 791 [illegible] के रिकार्ड में रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात में आने जाने हेतु ग्राम चाकुडी के आ.सं. 788 रकबा 0.29 है. में आने जाने बाबत अप्रार्थीगण की आ.सं. 789 रकवा 0.20 है. में से 9 मीटर चौडा [illegible] मीटर लम्बा कुल 252 व.मी. एवं आ.सं. 291 रकबा 0.22 है. में से 9 मीटर चौड़ा एवं 30 मीटर लम्बा [illegible] वर्गमीटर में होकर निकटतम मार्ग है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested

अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है। उक्त रास्ता भूमि कुल 252 व 270 कुल 522 वर्गमीटर होकर निकटतम मार्ग है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2025 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 10,18,980 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 522 वर्गमीटर की कुल मालियत 53,200 रूपये का दुगुना 1,06,400 रूपये अक्षरे एक लाख छः हजार चार सौ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.26 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested